

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-66/2022-23

SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LTD.

बनाम्

MD. SAYAD SHAZAD & OTHS.

—: आदेश :-

13.05.2023

प्राधिकृत पदाधिकारी, Shubham Housing Development Finance Company Ltd., Shubham House-425, Jwala Mill Road, Udyog Vihar-IV, Gurgaon, Haryana-122015 Having Branch office at Plot No. GE-11, 1<sup>st</sup> Floor, City Centre, Sector-IV, B.S. City, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी 1. मो० सैयद शहजाद पिता इमरान रजा 2. नसीमा बेगम पति मो० इमरान रजा पता-अंसारी मोहल्ला, चास पो०-चास, थाना-चास, बोकारो एवं अन्य के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष Shubham Housing Development Finance Company Ltd. को ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलोल दिया गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Within District Bokaro, Anchal Chas, Mouza Chas, Thana Chas, Thana No. 30, Khata No. 431, Plot No. 5689, Area 2.50 dec. pertaining to Regd. Sale deed No. 3012 dated 31.03.1980 executed in favour of Nasima Begum at DSR Bokaro.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रु० 2,69,642.94 (दो लाख उनहत्तर हजार छः सौ ब्यालीस रुपये चौरानबे पैसे) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-04.04.2021 को ही एन०पी०ए० हो गया है। वर्तमान में

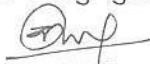


ऋणकर्ता पर कुल रुपये 3,06,836.00 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी के द्वारा गिरवी रखी गई सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित थे। उन्हें निबंधित डाक से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया था, किन्तु नोटिस बिना तामिला के ही वापस हो गया। फलस्वरूप उन्हें स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया, उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं अभिलेख में संधारित कागजात के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजूद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिरारो प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी।

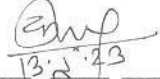
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी Shubham Housing Development Finance Company Ltd. Branch office at Plot No. GE-11, 1<sup>st</sup> Floor, City Centre, Sector-IV, B.S. City, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं

  
13.5.23

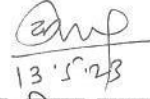
संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
13.5.23

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।

  
13.5.23

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।